प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर छ०ग०

विविध दाण्डिक याचिका क्रमाङ्क– 2360/2019

आदेश आरक्षित दिनांक–27.01.2021
आदेश वितरण दिनांक– 16.02.2021

1. निशांत अग्रवाल, पिता– श्री वेदप्रकाश अग्रवाल, उम्र–40 वर्ष, निवासी– जवाहर नगर, अंबेडकर चौक, अंबिकापुर, जिला– सरगुजा छ०ग०

2. जतिन भौसर, पिता– देवेन्द्र कुमार, उम्र– लगभग 34 वर्ष, निवासी– बी–312 श्री कृष्णा टावर नेशनल हाईवे 8, कृष्णानगर अहमदाबाद, पी०एस० अहमदाबाद, जिला– अहमदाबाद गजरात ।

याचिकाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

1. छ०ग० शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक थाना–बतौली, सरगुजा छ०ग० ।

2. थाना प्रभारी थाना– बतौली, जिला–सरगुजा छ०ग० ।

उत्तरवादी

याचिकाकर्ता के द्वारा – अधिवक्ता श्री देव आशीष बिसवास, ।
राज्य के द्वारा– अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पाली, उपमहानिधिक्षक ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के० अग्रवाल
सी.ए.वी. आदेश

1. यहां दोनो याचिकाकर्ता थाना–बतौली, जिला–सरगुजा में दिनांक–07.12.2012 को भा०द०सं० की धारा 420,467,468,471 सहपठित धारा 120 बी० एवं धारा 3(1)च छ, 3(2)(V)(क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के दण्डनीय अपराध के तहत दर्ज अपराध क्रं० 178/2017 के प्रथम सूचना पत्र को रद्द करने की मांग की गई है ।

2. वर्तमान याचिका में चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर दी गई है:

2.1. यह कि, गया प्रसाद पुत्र विश्वनाथ, बालगोविंद पुत्र शोभनाथ और सत्यनारायण पुत्र शोभनाथ ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विनय कुमार सोनी के माध्यम से दिनांक 16/09/2010 को संजीव शर्मा, उप महाप्रबंधक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में दो बिक्री विलेख निष्पादित किए, जिसके तहत विषयगत भूमि को उनके पक्ष में इस आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया कि वे विषयगत भूमि के स्वामित्व हैं और वे उक्त विषयगत भूमि को अलग करने में सक्षम हैं और जिसमें वर्तमान दो याचिकाकर्ता बिक्री विलेखों को सत्यापित करके गवाह के रूप में खड़े हुए।

2.2. तत्पश्चात कलेक्टर से शिकायत की गई कि उक्त भूमि उपरोक्त विक्रेताओं के स्वामित्व में नहीं है तथा यह 1959 (इसके पश्चात 'भू–राजस्व संहिता' कहा जाएगा) की धारा 165(6) एवं 165(7 बी) के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता था तथा भू–राजस्व संहिता की धारा 165(10) में निहित स्पष्ट रोक के मद्देनजर उपपंजीयक द्वारा इसका पंजीयन नहीं किया जा सकता था।

2.3. तदनुसार, कलेक्टर, सरगुजा ने राजस्व कार्यवाही शुरू की और दिनांक 26/11/2012 के आदेश द्वारा माना कि उपरोक्त दो बिक्री विलेखों के आधार पर किया गया लेन–देन शून्य और अमान्य है और यह क्रेता अर्थात् संजीव शर्मा, उप महाप्रबंधक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को कोई अधिकार नहीं देता है। यह भी माना गया कि उक्त बिक्री विलेख पंजीकृत नहीं हो सकते थे और आगे माना कि याचिकाकर्ता, जो बिक्री विलेखों के निष्पादन के दौरान सत्यापनकर्ता गवाह के रूप में खड़े थे, उन बिक्री विलेखों के पंजीकरण के लिए भी जिम्मेदार हैं, और अनुविभागीय अधिकारी, सरगुजा को क्रेता के साथ–साथ विक्रेताओं के साथ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके अनुसार एक एफआईआर दर्ज की गई है और याचिकाकर्ताओं पर भी उपरोक्त अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर तत्काल याचिका में प्रश्नगत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री देव आशीष विश्वास ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 16/09/2010 की दो बिक्री विलेखों के निष्पादन के दौरान केवल सत्यापनकर्ता गवाह के रूप में खड़े थे और इस प्रकार, उन्हें उपरोक्त अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्होंने केवल बिक्री विलेखों में उल्लिखित विक्रेताओं के हस्ताक्षरों को सत्यापित किया है और इससे कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनता है। वह **बंगा चंद्र धुर बिस्वास बनाम जगत किशोर आचार्य चौधरी**[1] और **पांडुरंग**

1 AIR 1916 Privy Council 110

कृष्णजी बनाम एम. तुकाराम[2] के मामलों में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए न्यायदृष्टांत पर भरोसा करेंगे, ताकि उनकी दलील को पुष्ट किया जा सके कि किसी विलेख का सत्यापन अपने आप में किसी व्यक्ति को किसी भी बात से इनकार करने से रोकता है, सिवाय इसके कि उसने विलेख के निष्पादन को देखा है या वह इसकी सामग्री से परिचित था या उसने उस लेनदेन के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो दस्तावेज़ से प्रभावित होता है और इस तरह, केवल बिक्री विलेखों के सत्यापन के आधार पर, याचिकाकर्ताओं पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और उनके खिलाफ अभियोजन न्यायालय की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द किए जाने योग्य है।

4. प्रतिवादियों/राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री जितेन्द्र पाली ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता बिक्री विलेखों के निष्पादन के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित थे, लेकिन उनके विरुद्ध उपरोक्त अपराध पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध शामिल है, जो आपराधिक साजिश के लिए दंड का प्रावधान करता है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करना आवश्यक है और यह तथ्य कि वे किसी भी आपराधिक साजिश में शामिल नहीं थे, मुकदमे के दौरान साबित किया जा सकता है और इस स्तर पर, यह नहीं माना जा सकता है कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, ऐसे में, उक्त याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और सूक्ष्मतापूर्वक के साथ अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

6. प्रथमतः, **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए कानून के सिद्धांत और/या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति निर्धारित की है और उदाहरण के तौर पर मामलों की श्रेणियां निर्धारित की हैं, जिसमें उक्त शक्ति का प्रयोग इस न्यायालय द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता

2 AIR 1922 Privy Council 20
3 1992 Supp. (1) SCC 335

है। निर्णय के पैराग्राफ 102 में निम्नलिखित कहा गया है:

"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, हम उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेबुनियाद एवं स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और उसे जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई हो और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान हो, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता हो।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।

7. भजन लाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा किया गया है, जिसमें **हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य**[4] का मामला भी शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 420 और 415 के तहत दंडनीय अपराध अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के परिदान को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है:

"420. **धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी को प्रेरित करना** जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने, या किसी ऐसी चीज को जो हस्ताक्षरित या सीलबंद है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, को प्रेरित करता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा।"

9. आईपीसी की धारा 415 धोखाधड़ी को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:

"415. धोखाधड़ी– जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी से या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को बनाए रखने के लिए सहमति देने के लिए प्रेरित

4 (2000) 4 SCC 168

करता है, या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या करने से चूकने के लिए प्रेरित करता है जो वह नहीं करता या नहीं करता यदि उसे इस तरह धोखा नहीं दिया गया होता, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाती है या पहुंचाने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।

स्पष्टीकरण। तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ में धोखा है।"

10. धोखाधड़ी को परिभाषित करने वाले उपरोक्त प्रावधान के लिए आवश्यक है कि (1). किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाए;

(2). (ए) धोखाधड़ी से या बेईमानी से उस व्यक्ति को

(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित किया जाए, या

(ii) किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को बनाए रखने के लिए सहमति दी जाए; या

(ख) जानबूझकर उस व्यक्ति को कुछ ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करता या न करने देता यदि उसे धोखा न दिया जाता और ऐसा कार्य या कृत्य उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने की संभावना रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **हृदय रंजन** (सु०) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दो अलग–अलग प्रकार के कार्य हैं जिन्हें करने के लिए धोखा दिए गए व्यक्ति को प्रेरित किया जा सकता है। सबसे पहले उसे किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए धोखे से या बेईमानी से प्रेरित किया जा सकता है। धारा में निर्धारित दूसरे प्रकार के कार्य वह हैं जो कोई ऐसा कार्य करना या न करना जिसे धोखा दिए गए व्यक्ति ने नहीं किया होता या न करने देता यदि उसे धोखा न दिया जाता। पहले वर्ग या मामलों में प्रेरित करना धोखाधड़ी या बेईमानी होना चाहिए। दूसरे वर्ग के कार्यों में, प्रेरित करना जानबूझकर होना चाहिए लेकिन धोखाधड़ी या बेईमानी नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित कहा गया है:

"15. प्रश्न का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि मात्र अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। यह प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है, जिसका आकलन उसके बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। मात्र अनुबंध के उल्लंघन के कारण धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि लेन–देन की शुरुआत में ही धोखाधड़ी या

बेईमानी का इरादा न दिखाया जाए, अर्थात वह समय जब अपराध किया गया हो। इसलिए यह इरादा ही अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसका इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी का था। बाद में वादा पूरा न करने के कारण ही शुरू में ही, अर्थात वादा करते समय ऐसा दोषपूर्ण इरादा नहीं माना जा सकता।

12. विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध के तत्व उपलब्ध हैं।

13. निस्संदेह, दोनों याचिकाकर्ता उन दो बिक्री विलेखों के सत्यापनकर्ता गवाह के रूप में खड़े थे, जिन्हें गया प्रसाद, बालगोविंद और सत्यनारायण ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विनय कुमार सोनी के माध्यम से संजीव शर्मा, उप महाप्रबंधक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में 16/09/2010 को निष्पादित किया था और दोनों बिक्री विलेखों को कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 26/11/2012 के आदेश द्वारा इस तथ्य के मद्देनजर शून्य और अमान्य घोषित किया गया था कि उक्त भूमि सरकार/आदिवासी जनजाति के स्वामित्व में थी और इसे छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता की धारा 165(6) और 165(7 बी) के तहत कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता था और इसके अलावा धारा 165(10) में निहित प्रावधानों के आधार पर इसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता था। बिक्री विलेखों को शून्य और अमान्य घोषित करते हुए, कलेक्टर ने दिनांक 26/11/2012 के आदेश के माध्यम से निम्नानुसार निर्देश दिया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"प्रकरण में आये तथ्यों एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर पाया जाता है कि ग्राम बैजनाथपुर, तह० बतोली, जिला– सरगुजा स्थित प्रश्नाधीन भूमि जो बिंदु क्रं० 1 में अंकित किया गया है तथा आज भी शासकीय भूमि है अनावेदक क्रं० 2,3 एवं 4 द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों की अवैधानियक रूप से मिली भगत करते हुए उसे सर्वप्रथम हड़पा गया तथा अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए उसे अनावेदक क्रं० 1 को पंजीबद्ध बिक्रय पत्र द्वारा बिक्री भी कर दिया गया । यहां यह ब्रिदु अति महत्वपूर्ण है की अनावेदक क्रं० 2,3 एवं 4 द्वारा शासकीय भूमि जिस पर भरी संख्या में पेड़ खड़े हैं को बिना हिचक तथा बिना किसी भय क राज्स अभिलेखो के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने नाम कर अंकित कराया गया है तथा इसके बदले में प्रतिफल के रूप में बड़ी राशि भी प्राप्त कर लिया गया है । अनावेदक क्रं० 2,3 एवं 4 उनके मुख्तियार आम विनय शंकर सोनी आ०

श्री बैजूराम सोनी, निवासी नवापारा चर्च रोड़ के पास अंबिकापुर, दोनों विक्रय पत्र के गवाह सर्व श्री निशांत अग्रवाल आ० वेदप्रकाश अग्रवाल निवासी जवाहर नगर अंकिबापुर तथा जतीन भासुर आ० देवेंन्द्र कुमार निवासी आनंद नगर मनेन्द्रगढ़ रोड अंबिकापुर का यह कृत्या विधि विरूद्ध तथा निश्चित रूप से दंडनी है । उसी प्रकार प्रश्नाधीन भूमि को क्रय करने वाले अनावेदक क्रं० 1 का भी कृत्या विधि विपरीत एवं दंडनीय है, क्योंकि क्रेता क्रेताा की भी उतनी जिम्मेदारी रहती है कि विक्रेता जिस भूमि को बिक्री कर रहा है वह भूमि क्रय करने योग्य है अथवा नहीं तथा ऐसी भूमि का प्रतिफल विक्रेता को दिया जा सकता है अथवा नही ।

इसके बाद, अंत में कलेक्टर ने निम्नलिखित आदेश देते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया:–

जैसा कि उपर वर्णित है उपरोक्त अनियमित कृत्या के लिए विक्रेतागण अनावेदक क्रमांक 2 गया प्रसाद आ० विश्वनाथ, अनावेदक क्रमांक 3 बालगोविंद आ० शोभनाथ, अनावेदक क्रमांक 4 सत्यनारायण आ० स्वर्गीय बैजूराम सोनी, निवासी नवापारा, चर्च रोड के पास अंबिकापुर दोनों विक्रय पत्र के गवाह द्वय निशांत अग्रवाल आ० वेदप्रकाश अग्रवाल निवासी जवाहर नगर अंबिकापुर तथा जतीन भौसार आ० देवेंन्द्र कुमार निवासी आनंद नगर मनेन्द्रगढ़ रोड़ अंबिकापुर तथा क्रेता अनावेदक क्रंमाक–1 संजीव शर्मा आ० शिवराज शर्मा पूर्ण रूप से दोषी हैं, इस लिए अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर इनके विरूद्ध सम्बधित पुलिस थाना में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज कराएं । अनावेदक क्रमांक–1 जो कोल ब्लॉक के लिए उक्त भूमि क्रय किया था इस भूमि से कोई लाभ प्राप्त न करे, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग मंत्रालय रायपुर को भी पृथक से लिख जाए ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. कलेक्टर, सरगुजा द्वारा पारित उपरोक्त आदेश/निर्देश के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त अपराध पंजीकृत किए गए हैं और उन पर उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि याचिकाकर्ताओं ने दोनों बिक्री विलेखों को गवाह के रूप में सत्यापित किया है और इस प्रकार, उपरोक्त अपराध उनके खिलाफ विक्रेता और विषय बिक्री विलेखों के क्रेता के साथ पंजीकृत होना सही है।

15. इस स्तर पर, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 पर ध्यान

देना उचित होगा, जो "सत्यापित" शब्द को परिभाषित करती है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

"किसी दस्तावेज के संबंध में, "सत्यापित" का अर्थ है और हमेशा दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित माना जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते देखा है, या किसी अन्य व्यक्ति को निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते देखा है, या निष्पादक से उसके हस्ताक्षर या चिह्न, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की है, और जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं; लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे गवाहों में से एक से अधिक एक ही समय पर मौजूद रहे हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा;"

16. "सत्यापित" शब्द की उपरोक्त परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 के तहत वैध सत्यापन की आवश्यक शर्तें हैं:

(i) दो या अधिक गवाहों ने निष्पादक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते देखा है या उससे उसके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की है;

(ii) इस तथ्य को प्रमाणित करने या गवाही देने के उद्देश्य से उनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह आवश्यक है कि गवाह ने अपना हस्ताक्षर एनिमो अटेस्टैंडी किया हो, अर्थात, यह प्रमाणित करने के उद्देश्य से कि उसने निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा है या उससे उसके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की है।

17. **एम.एल. अब्दुल जब्बार साहब बनाम एम.वी. वेंकट शास्त्री एंड संस**[5] ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए "सत्यापित" शब्द की परिभाषा पर विचार करते हुए माना है कि प्रमाणित करना किसी तथ्य का साक्षी होना है और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उद्देश्य से दस्तावेज़ पर अपना हस्ताक्षर करता है, जैसे कि यह प्रमाणित करना कि वह एक लेखक या पहचानकर्ता या पंजीकरण अधिकारी है, तो वह सत्यापित करने वाला साक्षी नहीं है।

18. **बंगा चंद्र** (सुप्रा) के मामले में, प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया है कि

5 1969 (1) SCC 573

सत्यापन अपने आप में न तो रोक पैदा करेगा और न ही सहमति का संकेत देगा। यह केवल इतना ही साबित करता है कि निष्पादन करने वाले पक्ष का हस्ताक्षर किसी साक्षी की उपस्थिति में दस्तावेज़ पर लगाया गया है।

19. इसी प्रकार, **पांडुरंग कृष्णजी**(सुप्रा) के मामले में प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित है कि किसी विलेख का सत्यापन अपने आप में किसी व्यक्ति को यह मानने से रोकता है कि उसने विलेख के निष्पादन को देखा है। यह न तो सीधे तौर पर और न ही निहितार्थ से, दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में कोई जानकारी देता है और इसे केवल यह स्थापित करने के उद्देश्य से आगे नहीं रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने उस लेनदेन के लिए सहमति दी थी जिसे दस्तावेज़ प्रभावित करता है।

20. **एल. सूरजभान बनाम हाफ़िज़ अब्दुल खालिक**[6] के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ने माना है कि विलेख में वर्णित विवरण सत्यापनकर्ता गवाहों को बाध्य नहीं करते हैं, क्योंकि केवल सत्यापन ही यह तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि सत्यापनकर्ता को विलेख की सामग्री का ज्ञान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसी प्रकार, **सुरजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[7] के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि विलेख में वर्णित बातें सत्यापनकर्ता गवाहों को बाध्य नहीं करती हैं और इसके बाद सत्यापनकर्ता गवाहों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसी प्रकार का निर्णय उस उच्च न्यायालय ने **सूर्या बाली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[8] के मामले में दिया।

22. **एम. श्रीकांत बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[9] के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने **एम.एल. अब्दुल जब्बार साहब**(पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, उसमें याचिकाकर्ताओं (ए 7 और ए 8) के अभियोजन को रद्द कर दिया, जो लीज डीड के सत्यापनकर्ता थे:

"8. जहां तक ए.7 और ए.8 का संबंध है, वे ए.1 द्वारा ए.4 के पक्ष में और बदले में ए.4 द्वारा ए.5 के पक्ष में निष्पादित वर्ष 2008 और 2009 के पट्टा विलेखों या उप पट्टा विलेखों के केवल सत्यापनकर्ता हैं। उनका तर्क है कि उन्हें सामग्री की कोई जानकारी नहीं है और उन्हें ए.1 के शीर्षक के स्रोत के लेन–देन की कोई जानकारी नहीं है और 02.04.1950 की वसीयत और 08.03.1990 की पुष्टि के विलेख के संदर्भ

6 AIR 1944 Lah 1
7 Manu/UP/1198/2013
8 Criminal Revision No. 3136/2014 decided on 17/02/2017
9 2017 SCC Online Hyd 614

में दावा है। एम.एल. अब्दुल जबार साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश के अभिव्यक्ति से कम से कम कानून काफी हद तक तय है कि सत्यापन किसी भी तरह से दस्तावेज की सामग्री के ज्ञान के साथ सत्यापन करने वाले गवाह को तय नहीं करता है या दस्तावेजों की सामग्री के लिए सहमति नहीं देता है, जब तक कि यह किसी स्वतंत्र ई द्वारा स्थापित न हो। जबर साहब (सुप्रा) ने कहा कि सत्यापन किसी भी तरह से दस्तावेज़ की विषय–वस्तु के ज्ञान के साथ सत्यापनकर्ता गवाह को नियुक्त नहीं करता है या दस्तावेज़ की विषय–वस्तु के लिए सहमति नहीं दर्शाता है, जब तक कि किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा यह स्थापित न हो जाए कि हस्ताक्षर के साथ यह स्पष्ट शर्त जुड़ी हुई थी कि इसका उद्देश्य निष्पादन या सत्यापन के लिए केवल साक्षी होने से अधिक कुछ व्यक्त करना था। सत्यापन का मुख्य रूप से अर्थ है 2 या अधिक गवाहों की उपस्थिति में निष्पादन, हस्ताक्षर या चिपकाना, जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादनकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखा है और इसके विपरीत और जरूरी नहीं कि ऐसे एक से अधिक गवाह हों। 17 गवाह उपस्थित होंगे और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं है। जहां तक ए.7 और ए.8 का संबंध है, निजी शिकायत कथनों में धोखाधड़ी या जालसाजी या धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी या जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने या इसी तरह के किसी अपराध में उनकी सक्रिय भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शिकायत कथनों के अंकित मूल्य पर भी, कानून की स्थापित स्थिति के मद्देनजर केवल सत्यापन के आधार पर ए.7 और ए.8 के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि दस्तावेजों की सामग्री के बारे में उनके ज्ञान का अनुमान लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि उनके सत्यापन के लिए दस्तावेज के निष्पादक के शीर्षक के स्रोत की वास्तविकता को सत्यापित करने का उन पर कोई कर्तव्य नहीं है।

क). इस प्रकार, जहां तक ए.7 और ए.8 के संबंध में अपराध संख्या 311/2010 की कार्यवाही रद्द की जाने योग्य है और तदनुसार, सीआरएलपी संख्या 6047/2013 को अनुमति देकर रद्द की जाती है।

ख). यद्यपि ए.9 का यह तर्क है कि वह भी 30.01.2009 के उप–पट्टे के सत्यापन से उसी स्थिति में है, ए.9 की किसी और भूमिका पर विचार करने के लिए इस पर और चर्चा की आवश्यकता है, साथ ही ए.6 के इकाई ए.5 के कर्मचारी होने के कारण, क्योंकि उप–पट्टा ए.5 के पक्ष में है जिसे ए.1 के पट्टेदार ए.4 द्वारा निष्पादित किया गया है।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. **एम. श्रीकांत** (सु०) के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अभियुक्त संख्या 4 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, जिसके खिलाफ कार्यवाही रद्द नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने **एम. श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य**[10] के मामले को उठाया और आरोपी संख्या 4 के खिलाफ कार्यवाही को भी रद्द कर दिया और अनुच्छेद 27 और 28 में साक्ष्य देने वाले गवाहों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

> "27. जहां तक मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं से उत्पन्न आपराधिक अपीलों का संबंध है, हमें अपीलों में कोई योग्यता नहीं दिखती। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही पाया है कि आरोपी संख्या 5 – एचपीसीएल और उसके अधिकारियों आरोपी संख्या 6 और 9 के साथ–साथ आरोपी संख्या 7 और 8 के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, जिन्हें केवल इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वे साक्ष्य देने वाले गवाह थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का सही इस्तेमाल किया है।
>
> 28. जहां तक मूल आरोपी नंबर 4 का सवाल है, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उसका मामला भजन लाल (सु०) के मामले में इस न्यायालय द्वारा बनाई गई श्रेणियों (1) और (3) के अंतर्गत आता है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को उसके वास्तविक मूल्य पर लिया जाए, आरोपी नंबर 4 के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए कोई सामग्री नहीं है। हमारा विचार है कि आरोपी नंबर 4, एम. श्रीकांत के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसे में, उसकी अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपर्युक्त कानूनी स्थिति के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि इस मामले में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि वे दिनांक 16/09/2010 को बिक्री विलेखों के निष्पादन के दौरान गवाह के रूप में खड़े हुए थे, तथा उन्होंने संजीव शर्मा, उप महाप्रबंधक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में गया प्रसाद, बालगोविंद और सत्यनारायण द्वारा अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विनय कुमार सोनी के माध्यम से निष्पादित किए गए विलेखों को सत्यापित किया था तथा

10 (2019) 10 SCC 373

उन्होंने उन विक्रेताओं के हस्ताक्षरों की पहचान की थी जिन्होंने बिक्री विलेखों को निष्पादित किया था। उपर्युक्त निर्णयों (सु०) में निर्धारित कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता उक्त भूमि पर विक्रेताओं के शीर्षक को सत्यापित करने के लिए बाध्य नहीं थे तथा वे यह देखने के लिए भी बाध्य नहीं थे कि वैध शीर्षक क्रेता अर्थात संजीव शर्मा के पक्ष में हस्तांतरित किया जा रहा है तथा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित उनके सत्यापन का कार्य उक्त हस्तांतरण में उनकी सहमति के बराबर नहीं था। केवल इसलिए कि उन्होंने बिक्री विलेखों को सत्यापित किया है, जिसके अनुसार विक्रेता गया प्रसाद, बालगोविंद और सत्यनारायण द्वारा क्रेता संजीव शर्मा के पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ताओं ने किसी प्रकार का धोखाधड़ी वाला कार्य किया है, जिसके लिए उन पर आईपीसी की धारा 420 सहित उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि किसी विलेख में उल्लेखित बातें सत्यापनकर्ता को बाध्य नहीं करती हैं। सत्यापन करने वाले साक्षियों को बाध्य करता है और सत्यापन के कार्य से यह नहीं कहा जा सकता कि सत्यापनकर्ता को प्रश्नगत दस्तावेज की विषय–वस्तु का ज्ञान है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्होंने उक्त भूमि को अलग करने के लिए तीन विक्रेताओं का प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी से बिक्री विलेख निष्पादित किया है या उन्होंने विक्रेता/खरीदार के रूप में गलत व्यक्तियों की पहचान की है, इस प्रकार, प्रथम दृष्टया वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120 बी सहित उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है और इसी तरह, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 467, 468, 471 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(च)(छ), 3(2)(v)(क) के तहत दंडनीय अन्य अपराधों के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपरोक्त कानूनी विश्लेषण के मद्देनजर, पुलिस स्टेशन बतौली, जिला–सरगुजा में पंजीकृत एफआईआर क्रमांक 178/2012। वर्तमान याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सरगुजा के साथ–साथ विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) के न्यायालय में लंबित विशेष आपराधिक प्रकरण संख्या 100/2017 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम संजीव शर्मा एवं अन्य) में बाद की कार्यवाही, अंबिकापुर, एतद्द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ताओं की सीमा तक ही निरस्त की जाती है। हालांकि, अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के अनुसार अभियोजन जारी रहेगा। यह स्पष्ट

किया जाता है कि इस न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों के संबंध में मामले की योग्यता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है। उनके मामले पर अभिलेख के आधार पर विचार किया जाएगा, बिना ऊपर की गई किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए।

26. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur